C.No. 333/2010 नाथी V/s भागचन्द (212 R.T.A.)

29/11/2014

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०/अप्रार्थी 04 व 05 का बावजूद तामिली के जवाब प्राप्त नही है अतः अप्रार्थी 04 व 05 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. पर अन्तिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थिया एक विधवा, गरीब महिला है, प्रार्थिया व अप्रार्थी 01 से 3 की संयुक्त खातेदारी, काश्त की भूमि ग्राम देवपुरी तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा 1037/705, 110, 1036/705, 1035/705, 121, 111, 112, 124, 79 स्थित है। अप्रार्थी 01 से 03 प्रार्थिया के पुत्र है तथा शराब व नशे में रहकर उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है तथा किसी अपरिचित व्यक्ति / खरीददार को बेचान कर वादग्रस्त भूमि खुर्द बुर्द करने...

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.26 11:41:13 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	C.No. 333/2020 नाथी / मागचन्द

पर आमादा है अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी 01 से 03 को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय के अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से हक की भूमि का बेचान नहीं करे व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखें।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी से जाहिर है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी 1 लगायत 3 वादग्रस्त भूमि के खातेदार है तथा भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय हानि के बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवम् अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 को वादग्रस्त भूमि ग्राम देवपुरी तहसील अरांई में स्थित खसरा नम्बर 1037/705, 110, 1036/705, 1035/705, 121, 111 112, 124, 79 में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी 01, 02, 03 के वर्तमान हिस्से तक (जमाबन्दी में दर्ज) का बेचान नहीं करने एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने के लिए मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक [illegible] से पाबन्द किया जाता है। मु. पत्रावली शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.26 11:41:13 IST
Reason: SelfAttested